



Neutral Citation No. - 2026:AHC:22280-DB

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

दाण्डिक प्रकीर्ण रिट याचिका संख्या - **29245/2025**

विनीता देवी

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 2 अन्य

.....प्रत्यर्थी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : अनीस कुमार गौतम

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या - 45

माननीय राजीव गुप्ता, न्यायमूर्ति

माननीय अचल सचदेव, न्यायमूर्ति

- याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया तथा मामले के अभिलेख का अवलोकन किया गया।
- वर्तमान रिट याचिका याचिकाकर्ता द्वारा निम्नलिखित राहत के लिए दायर की गई है:
"A. एक रिट, आदेश या निर्देश परमादेश की प्रकृति में जारी किया जाए जिसमें प्रत्यर्थियों को थाना गोरखनाथ, जनपद-गोरखपुर में दर्ज दिनांक 9.10.2025 की प्रथम सूचना रिपोर्ट, जो मुकदमा अपराध संख्या-435/2025, धारा 103(1) बी.एन.एस. (रिट याचिका के संलग्नक संख्या 1) से संबंधित है, की स्वतंत्र, उचित और निष्पक्ष विवेचना संचालित करने का निर्देश दिया जाए।
B. एक रिट, आदेश या निर्देश परमादेश की प्रकृति में जारी किया जाए जिसमें प्रत्यर्थियों को नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार करने और निष्पक्ष विवेचना संचालित करने का निर्देश दिया जाए।
C. कोई अन्य और आगे के आदेश जारी करें जिसे यह माननीय न्यायालय मामले की परिस्थितियों में उचित और सही समझे।"
- याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि याचिकाकर्ता वर्तमान मामले में प्रथम सूचनाकर्ता है और यद्यपि वर्तमान मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 9.10.2025 को पंजीकृत की गई है, फिर भी पुलिस मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से विवेचना नहीं कर रही है।
- उपरोक्त के आलोक में, याचिकाकर्ता वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जनपद-गोरखपुर के समक्ष अपनी शिकायत को रेखांकित करते हुए और निष्पक्ष एवं पारदर्शी विवेचना की मांग करते हुए एक आवेदन प्रस्तुत कर सकती है और यदि ऐसा आवेदन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जनपद-गोरखपुर

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



के समक्ष दिया जाता है, तो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जनपद-गोरखपुर/प्रत्यर्थी संख्या-2 वर्तमान मामले में निष्पक्ष, पारदर्शी और त्वरित विवेचना सुनिश्चित करेंगे।

5. उपर्युक्त टिप्पणी के साथ, वर्तमान याचिका निस्तारित की जाती है।

(अचल सचदेव, न्यायमूर्ति) (राजीव गुप्ता, न्यायमूर्ति)

2 फरवरी, 2026

के.यू.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"